

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-3528

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ सभी पुलिस अधीक्षक
बिहार।

पटना, दिनांक-20/5/2020

विषय:- श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के ठहराव स्थल पर सम्बद्ध जिलों के यात्रियों को उतारने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-2863, दिनांक-14.05.2020 एवं विभागीय पत्रांक-3447, दिनांक-19.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ किया जाय। COVID-19 के क्रम में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से बिहार आने वाले श्रमिकों के उनके गंतव्य जिले तक सुगम एवं सुरक्षित परिवहन हेतु विभागीय पत्रांक-2863, दिनांक-14.05.2020 द्वारा ठहराव स्टेशनों के साथ जिलों को सम्बद्ध करते हुए विस्तृत निदेश निर्गत किया गया है। इसके आलोक में ठहराव स्टेशनों पर सम्बद्ध सभी जिलों के श्रमिकों को उतारकर उनके गृह जिला तक भेजा जाना है, ताकि ट्रेनों के अंतिम गंतव्य स्टेशनों पर अत्यधिक दबाव न पड़े।

पुनः इस कार्यालय के ज्ञापक-3447, दिनांक-19.05.2020 द्वारा उपरोक्त निदेश का सख्ती से अनुपालन का भी निदेश दिया गया है।

सम्प्रति कतिपय ठहराव स्टेशनों एवं अंतिम गंतव्य स्टेशनों के सृजन के कारण पत्रांक-2863, दिनांक-14.05.2020 के क्रम में निम्नलिखित अतिरिक्त ठहराव स्टेशनों के साथ जिलों को सम्बद्ध किया जाता है:-

क्र०	ठहराव स्टेशन	ट्रेनों की ठहराव की परिस्थिति	संबंधित जिले
1.	मुँगेर	यदि ट्रेन भागलपुर अथवा बांका जा रही है तो,	मुँगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा
2.	किऊल	यदि किऊल के बाद जमालपुर ठहराव नहीं हो तो	लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, मुँगेर
		यदि जमालपुर ठहराव हो, तो	लखीसराय, जमुई, शेखपुरा
3.	दरभंगा	यदि दरभंगा के बाद मधुबनी ठहराव हो तो,	दरभंगा, समस्तीपुर,

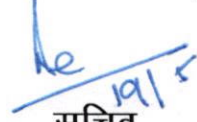
		यदि दरभंगा के बाद मधुबनी ठहराव नहीं हो तो	समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल
		यदि दरभंगा से पहले समस्तीपुर ठहराव हो एवं मधुबनी ठहराव न हो तो	दरभंगा, मधुबनी, सुपौल
		यदि दरभंगा से पहले समस्तीपुर एवं दरभंगा के बाद मधुबनी ठहराव नहीं हो तो	दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल
4.	मोतिहारी	यदि मोतिहारी के बाद बेतिया ठहराव हो या मोतिहारी से पहले बेतिया ठहराव हो तो	मोतिहारी, गोपालगंज, सीवान
		यदि मोतिहारी के पहले मुजफ्फरपुर ठहराव हो परन्तु बाद में बेतिया ठहराव न हो तो	मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सीवान
5.	भागलपुर	यदि बांका ठहराव हो तो	भागलपुर
		यदि बांका ठहराव नहीं हो तो	बांका, भागलपुर
6.	मुजफ्फरपुर	यदि दरभंगा एवं मधुबनी ठहराव नहीं हो तो,	मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढी, शिवहर, प0 चंपारण, पू0 चंपारण
		यदि दरभंगा अथवा मधुबनी ठहराव हो तो,	मुजफ्फरपुर, सीतामढी, शिवहर, प0 चंपारण, पू0 चंपारण
		यदि मुजफ्फरपुर के बाद मोतिहारी अथवा बेतिया ठहराव हो तो	मुजफ्फरपुर, सीतामढी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी
		यदि मुजफ्फरपुर के बाद मोतिहारी अथवा बेतिया ठहराव न हो तो	मुजफ्फरपुर, सीतामढी, शिवहर, पू0 चंपारण, प0 चंपारण
		यदि मुजफ्फरपुर से पहले बेतिया अथवा मोतिहारी ठहराव हो तो	मुजफ्फरपुर, सीतामढी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी

इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि:-

1. स्थानीय रेल पदाधिकारियों से संपर्क कर संबंधित श्रमिक स्पेशल ट्रेन के आगमन के समय की जानकारी प्राप्त करेंगे।
2. निर्धारित ठहराव स्थल पर सम्बद्ध जिलों के श्रमिकों को उतारने की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से की जाय।
3. निर्धारित आगमन समय के अनुसार ट्रेनों के आगमन से पूर्व उसके प्रत्येक डब्बे के समक्ष कम से कम 2 से 3 कर्मियों/सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति की जाय।
4. वे प्रतिनियुक्त कर्मी चिन्हित निकटवर्ती क्षेत्रों की सूची एक बड़े "प्ले कार्ड" के रूप में ट्रेन के प्लेटफार्म पर लगते ही प्रदर्शित करेंगे तथा आवाज भी लगाएँगे, ताकि यात्रियों का ध्यान आकर्षित हो सके और वे समझ सकें कि उन्हें अपने गृह जिला तक के लिए ट्रेन से वहीं उतरना है एवं आगे की उनकी यात्रा के लिए वहाँ से वाहन उपलब्ध है।

5. रेल प्रशासन से समन्वय कर ट्रेन के आते ही एनाउन्समेंट की भी व्यवस्था करायी जाय।
6. ठहराव स्थल से श्रमिकों को उनके गृह जिला तक सुरक्षित परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की जाय एवं उनके गंतव्य जिले तक भेजा जाय।
7. इस प्रकार प्रत्येक ट्रेन के आगमन के पश्चात उतरने वाले यात्रियों की कुल संख्या, इनमें स्थानीय यात्रियों की संख्या तथा निकटवर्ती जिलों के लिए भेजे जाने वाले यात्रियों की संख्या समेकित रूप से संधारित करते हुए निकटवर्ती जिलों में भेजे जाने वाले यात्रियों का आँकड़ा संबंधित जिला पदाधिकारियों को भी त्वरित प्रक्रिया (e-mail/whatsapp) के द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी जाय तथा कुल यात्रियों की विवरणी से परिवहन विभाग को भी दैनिक स्तर पर अवगत कराया जाय।
8. ट्रेन जाने के पश्चात अगले जिला के जिला पदाधिकारी को भी सूचित किया जाय।

विश्वासभाजन,



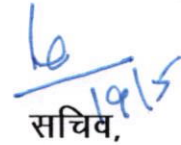
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 3528

पटना, दिनांक— 20/5/2020

प्रतिलिपि— सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।